

विज्ञापित सूचना


उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली-2017 की अधिसूचना संख्या 129 एवं उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-7 के आदेश सं0-130/xxvii(7)32/2017 दिनांक 14 जुलाई 2017 के अध्याय-2 के सामग्री अधिप्राप्ति बिन्दु सं0-6 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस वन प्रभाग में उन रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता फर्मों, संस्था, एजेन्सी तथा व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है, जो इस वन प्रभाग को समय-समय पर पड़ने वाली विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट गुणवत्ता युक्त उपकरणों/सामग्री आदि की आपूर्ति करना चाहते हैं, वे इच्छुक आपूर्तिकर्ता फर्म जो वर्णित सभी आवश्यक शर्तें पूरा करती हों, पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र साधारण डाक से प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के नाम से विज्ञापित प्रकाशित होने के 20 दिनों के भीतर अर्थात् 15 जुलाई 2018 तक इस कार्यालय को भेज सकते हैं अथवा स्वयं के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदक फर्म जिन उपकरणों व सामग्री की आपूर्ति हेतु आवेदन करना चाहते हैं, का विवरण आवेदन पत्र में तथा सीलबन्द लिफाफे के ऊपर अंकित करें तथा सभी आवश्यक औपचारिक प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें। अपूर्ण आवेदन पंजीकरण हेतु मान्य नहीं होंगे।

क्र0सं0	उपकरण का नाम	विवरण
1	शिविर उपकरण	वाहन जैसे- स्कोरपियो, बुलेरो, जिप्सी, मार्शल जीप आदि की सर्विस टायर मरम्मत तथा पार्ट्स व सम्बन्धित सामान आदि।
2	कार्यालय उपकरण	1-फर्नीचर, स्टील, आलमारी, रैक्स, वर्दी, वेल्ड, टोपी, बैच, जूते, जर्सी, पर्दे, कार्पेट, सामान। 2-समस्त प्रकार की स्टेशनरी, व आवश्यक सामग्री। 3-समस्त प्रकार के निर्धारित फार्म, रजिस्टर आदि सामग्री छपाई कार्य व अन्य
3	विश्राम भवन उपकरण	फर्नीचर, बेड, डबल बैड, गद्दे एवं इलैक्ट्रिक सामान जैसे-फ्रीज, कूलर, पंखे व ए.सी. तथा सौर ऊर्जा संयंत्र, टी.वी. व अन्य।
4	सर्वे उपकरण	सर्वे सम्बन्धी-जैसे फीता, ड्राइंग सम्बन्धी घाट ट्रेसर, विभिन्न कम्पास, मौसम के यंत्र व जी.पी.एस व अन्य।
5	नर्सरी सामान व औजार उपकरण -	पॉलीथीन बैग, टूल्स- जैसे गैंती, बेल्ट्या, फावड़ा घन, खुर्फी, कुटले, गार्डन सीजर, रबड़ पाईप, नर्सरियों में प्रयुक्त होने वाला कीट नाशक, खाद, ट्रीगार्ड व अन्य सम्बन्धित सामान।
6	मशीन उपकरण	फोटो स्टेट मशीन इनवर्टर कम्प्यूटर, प्रिन्टर, टोनर, कार्टेज आदि।
7	वाहन	अग्नि सुक्षा वन्य जीवों से सुरक्षा हेतु प्रयोग में लाने के लिए किराये पर मार्शल/बुलेरो/स्कोरपियो टैक्सी आदि तेल मरम्मत आदि के साथ।
8	विविध उपकरण/सामान	1- फायर रैक्स, फायर ऐक्स्यूगीसर व टार्च वायरलेस सेट उनके पार्ट्स व सर्विसिंग आदि। 2- जी.आई.वायर, कांटेदार तार, ब्लेक जापान आदि सम्बन्धित सामग्री। 3- निर्माण सामग्री - भवनों दीवाल छत व निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाला समस्त प्रकार का कच्चा व पक्का सामान जैसे- ईट, सीमेन्ट, कंक्रीट सरिया, चूना पेन्ट, रोड़ी, बजरी, सेनेटरी, जी.आई.पाईप आदि समस्त प्रकार की आवश्यक सामग्री।

शर्त :-

आपूर्तिकर्ता फर्म को निम्न शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है :-

1. फर्म का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)
2. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)
3. आयकर का पंजीकरण (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)
4. आपूर्तिकर्ता फर्म को आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार समय पर सामान की आपूर्ति करनी होगी।


 (धर्म सिंह मीणा)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।